

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] No. 60] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2016/पौष 18, 1937

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2016/PAUSA 18, 1937

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

का.आ. 66(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अविध की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सिचव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

## प्रारूप अधिसूचना

इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, पम्पपाडन शोला राष्ट्रीय उद्यान और क्रिन्जीमाला अभयारण्य, केरल राज्य में मन्नार वन्यजीव प्रभाग, इडुकी जिला में निकटस्थ संरक्षित है, जिनकी मुख्य संरक्षण और पर्यावरणीय महत्ता है;

और, इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इडुकी जिले में देवीकुलम ताल्लुक में उत्तरी अक्षांश 10º 05' - 10º 20' तथा पूर्वी देशांतर 77º 0' - 77º 10' में अवस्थित है और इसका विस्तार 97 वर्ग किलोमीटर तक है ;

112 GI/2016 (1)

और इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, विश्व में नीलिगिरि ताहर (नीलिगिरीट्रग्स हइलोक्रिस) के चारों ओर बृहद जीवसंख्या में संभरण करती है और नीलिगिरि मार्टेन, रुडी नेवला, छोटा कॉलड ओटर, डस्की, स्टीपटीज,गिलहरी आदि सभी महत्वपूर्ण जीवजंन्तु यहां आश्रित है।

और इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट में एकमात्र मोंटेन शोला- ग्रासलैंड वनस्पित आसामान्य रूप से अधिकतम और न्यूनतक मात्रा में फैली है और यह नीलाकुरंजी (स्ट्रोबिलैथेस कुणथेंनम) का प्राकृतिक वास भी है जो 12 साल में एक बार खिलता है और राओरचेस्टस रेसपेलेडेन्स,प्रजाति का मेंढक सिर्फ इस राष्ट्रीय उद्यान, में मिलता है।

और इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, में पूर्व से पामबार नदी और पश्चिम से परियार नदी और चालक्कुडी नदी बहती है और जलग्रहण करती है।

और यहाँ पर कई तरह कि शीतोष्ण प्रजातियों जैसे माहोनिया लेंसचनालुटी ,रहोडोडेनड्रोन अरबोरम, गोलथेरिया फ्रगैनटिस्मा बेरबेरिस टिंकटोरिया, रैर ऑरचिड्रस जैसे ब्राकोक्रोथीस विगथो, हेबेनारिया फलाबेलीफॉमीस, विविध जंगली प्रजातियाँ जातियाँ के साथ साथ कृषि पौधे जैसे पीपर स्कमीडती और इलाटेरियाँ कारडामोम इरवीकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं।

और चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाटों में पूर्वी भाग के ऊंचे पहाड़ों में उत्तरी अक्षांश 10° 15' से 10° 21' तथा पूर्वी देशांतर 77° 05' से 77° 16' में इडुकी जिले के देवीकूलम तालुक की मारायूर कंतालूर पंचायत में अवस्थित है और इसका कुल क्षेत्र 90.44 वर्ग किलोमीटर तक है ;

और चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य राज्य का एक मात्र संरक्षित क्षेत्र है जो की पश्चिमी घाट के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है और उँचाई एवं वर्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण, यहाँ पर बहुत प्रकार के वास है, जैसे पर्णपाती वन, सूखे कंटीले वन, रीपरियन वन, शोलास और घास के मैदान जो समतल मैदान के साथ – साथ फैले है, छोटी पहाडि़याँ, चटटाने और कील्फस जो की विविध जीव- जन्तु को वास प्रदान करते हैं।

और चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य ग्रीजलड ग्रैट गिलहरी, मार्स मगरमच्छ ,स्टार कछुआ, येलो थ्रोटीड बुलबुल और टफ्टीड ग्रे लंगूर, रोच रेपटेलियन फोऊना और अल्बीजिया लाथामी आदि अति संकटापन्न प्रजातियों को आश्रय देता है।

और चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य अन्नामलई पहाड़ियों और कोडाईकनाल ढलानों के बीच एकमात्र संपर्क है और पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढाल वनों में इसकी एक महत्वपूर्ण स्थिति है और यह तमिलनाडु में अमरावती जलाशय का जल आवाह क्षेत्र है ;

और चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य अकाकिय सपा, यूफोरिबिया सप्पा, कैप्परीस सप्पा, आँपनटिया सप्पा, जीजीफस सप्पा, ग्रविया सप्पा, क्रोडिया सप्पा, अल्बीजिया अमारा, अटलांटिया मोनाफाइला, प्लेइओसपर्मइ अलाटम, प्रोसोपीस जुलीफलोरा, डीक्रोस्टेकस सइनेरिया, डियास्यारांस क्रोडीफोलियाँ पेटेटारम, पीसोनिया अक्युलेइटे, कारीस्सा कारनदस, स्ट्रेकानस सेरापेजियाँ जुनेसा, पैरगुलेरियाँ डाइमिया, कारालुमा सप्पा, हेलीक्सेंथेरा सप्पा, आदि का संभरण करता है।

और चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, के खुला शुष्क झाडी वन भिन्न विविधता के है, स्तनधारियों, पाक्षियों, कीडें मकोडें और तितिलियों के लिए एक सर्वोत्तम वास है और अभयारण्य में 225 पक्षियों की प्रजातियों , 52 कीडे-मकोडे की प्रजातियों और 14 मछलियो की प्रजातियों का संभरण करती है।

और अभयारण्य हाथी, बाघ, तेंदुआ, गोर, बोनेट, मेकक्यु, हनुमान लंगूर, नीलगिरीताहर, बनैला सूअर, संभार, स्पेटीड हिरण, ब्रिकिंग हिरण, पोरक्यूपाइन, जंगली कुत्ता, स्लोथ भालू, जंगली क्रैट, मालाबार गेनेट गिलहरी, कॉमन फलिइग गिलहरी आदि का आवास है।

और अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान दक्षिणी पश्चिमी घाटों के पूर्वोत्तर भाग में इडुकी जिले के दवीकुलम तालुक में कंतालूर और कोट्टमबूर ग्रामों में स्थित है ;

और अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, मननावन शोला वन दक्षिण भारत के बृहद शोला वन खंड में से एक है और साइथाइय क्रिनीटा ग्रेनेट फर्न भी आश्रित है और केरल के पश्चिम घाट मे 543 पीटरडीफाइटस और अनगीयासपर्म की प्रजातियाँ है उनमें सें लगभग 20%(109 प्रजातियाँ) स्थानिक है जिसमें 16 स्थानिक पक्षी है, अनामुडी राष्ट्रीय उद्यान में केवल इसकी 9 प्रजातियाँ है

और अनामुडी राष्ट्रीय उद्यान, अकरुइकिया पेडनकुलाटा, एक्टेनडाफेन मालाबारिक, सेटिस टेटंरानद्रा, डाफिनफाइलम नीलग्रहैस, इलोकारपस मुनरोनी, कीनामाँम मैक्रोक्रैम्प, फीक्स लेविस, गोमफंद्रा कोरियासिया, लेटिसी कोरियासिया,पेरिसी मैक्रथा,मस्टीसीया अरबोरिया,कुरकुलाग आँशचीडस, क्रैक्स फनफोडियम अमब्रोसोसिडस, एरीडेस, रंनीगेन, ओबरियोनिया चंद्रशेखरनी, ड्रोसेरा पेल्टेट आदि वनस्पति सम्मिल्लित है।

और, कुरंजीमाला वन्यजीव अभयारण्य, इडुकी जिले के देवीकुलम ताल्लुक में कोट्टाकोम्बुर और वाटावाडा ग्रामों में उत्तरी अक्षांश 10° 07' और पूर्वी देशांतर 77° 17' 30'' के बीच अवस्थित है और केरल के दक्षिणी-पश्चिमी घाटों की वाटावाडा घाटी के पूर्वी ढालों पर स्थित है और इसकी सीमा तमिलनाडु के कोडाइकनाल वन प्रभाग के साथ साझी है;

और, कुरंजीमाला वन्यजीव अभयारण्य राज्य में अपनी तरह का पहला संरक्षित क्षेत्र है, जिसे पुष्प पादप – *स्ट्राबीलेंट्स* कुंतियान्स (नीलाकुरंजी), जो बारह वर्ष में एकबार पुष्पित होता है, के संरक्षण के लिए घोषित किया गया है ;

और दक्षिणी आर्द्र घास भूमि, दक्षिण् मोटेन आर्द्र संतुलित वन आदि मिलती जुलती वनो की वनस्पित के प्रकार है और इयुलालिया फाइथ्रीक्स, अपोकारपसीस मगलोरिनसीस, डोकैथीम पॉलीपैटिक्ज, सरेसोपोगन साइलेनक्म, अरुणडीनेला वागीनेटा, अक्टीनोडैफन कॉम्पनुलाटा, कीनामाँम सल्फरटम, रुबिया कोर्डिफोलिया, केलमेटिस गोरिना आदि प्रजातियाँ भी आवास करती है

और पम्पपाडन शोला राष्ट्रीय उद्यान, इडुकी जिले के देवीकुलम तालुक के वाटावाडा ग्राम में उत्तरी अक्षांश  $10^{\circ}$  07' एवं  $10^{\circ}$  10' तथा पूर्वी देशांतर  $77^{\circ}$  14' से  $77^{\circ}$  17' 30'' में अवस्थित है और इसका कुल क्षेत्र 11.753 वर्ग किलोमीटर तक है ;

और, पम्पपाडन शोला राष्ट्रीय उद्यान, एक्टेनडिफन मालाबारिक, अलनस नेपालीनसीस, सेलीटीस टेटेनद्रा, कैनथीयम नीलग्रहैस, इलीयाक्रापस मुनरोनी, ई. टुबरकुलेटस कीनामाँम मैक्रोक्रम्प, फीक्स लेविस, गोमफांदा कोरिसया, लेटीसी कारिसया, प्रैसी मैंकथ्रा, मैस्टाक्सी अरबोरिया, सिजीग्रीम स्पाइस, क्रुकुलागो और चीडिस, क्रैक्स फ्लीसीना, स्लोसिया पुलचछेता, सइनोफोडियम अमब्रोसीओडिस, अरीडेस रेंनिगलन्स आँबिरयोया चंन्द्रशेखरनी, डोसेरा पेटाटा आदि प्रजातियाँ शोला वनस्पति में अधिक मात्रा में पेंड पौधे और पश् पाए जाते है।

और पम्पपाडन शोला राष्ट्रीय उद्यान, कानन दावेन पहाडियों और पालानी पहाडियों को जोडने का गलियारा है और कई स्थानिक प्रजातियाँ सम्मिलित है जिनमें 13 स्थानिक तितलियों का संभरण है।

और अब इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, इराबीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरंजीमाला वन्यजीव अभयारण्य और पम्पपाडन शोला राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षित करना आवश्यक हो गया है तथा उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य में इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, क्रिंजीमाला वन्यजीव अभयारण्य और पम्पपाडन शोला राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1.5 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र, उस हिस्से को छोड़कर जो की तिमल नाडु राज्य की सीमा से जुड़ा हुआ है, को इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरंजीमाला वन्य जीव अभयारण्य और पम्पपाडन शोला राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं—(1) इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान के चारो ओर का विस्तार --

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन 73.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें केरल राज्य में इडुकी जिले में देवीकुलम तालुक में कानन देवी ग्राम का भाग शामिल है
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार राष्ट्रीय उद्यान की अधिसूचित सीमा से 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक में है ।

### (2) चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार -

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन 20.35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें केरल राज्य में इडुकी जिले में देवीकुलम तालुक में मरायूर, कजेंतूर और कोट्टाकम्पूर ग्राम का भाग शामिल है ।
  - (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार राष्ट्रीय उद्यान की अधिसूचित सीमा से 1 किलोमीटर तक में है।

## (3) अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार –

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन 33.97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें केरल राज्य में इडुकी जिले में देवीकुलम तालुक में कंदालूर और कोट्टामबूर ग्राम का भाग शामिल है।
  - (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार राष्ट्रीय उद्यान की अधिसूचित सीमा से 1 किलोमीटर तक में है ।

## (4) कुरंजीमाला वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार—

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन 8.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें केरल राज्य में इडुकी जिले में देवीकुलम तालुक में कोट्रामबूर और बाट्राबाडा ग्राम का भाग शामिल है।
  - (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार राष्ट्रीय उद्यान की अधिसूचित सीमा से 1 किलोमीटर तक में है ।

## (5) पम्पपाडन शोला राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार –

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन 5.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें केरल राज्य में इडुकी जिले में देवीकुलम तालुक में बाट्टाबाडा ग्राम का भाग शामिल है ।
  - (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार राष्ट्रीय उद्यान की अधिसूचित सीमा से 1 किलोमीटर तक में है ।
  - (6) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध** l के रूप में उपाबद्ध है ।
  - (7) मुख्य बिन्दुओं के समन्वयकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध ।।** के रूप में उपाबद्ध है ।
- (8) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाले अधिस्चित आरक्षित/निहित वन की सूची **उपाबंध-।।।** के रूप में उपाबद्ध किए गए हैं।
- 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, इस अधिसूचना में दिए गए उपदर्शों का अनुपालन करते हुए, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
  - (2) उक्त योजना को राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के सामंजस्य से तैयार की जाएगी।
- (4) आचंलिक महायोजना उसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से तैयार की जाएगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं--
  - (i) पर्यावरण ;
  - (ii) वन :
  - (iii) शहरी विकास ;

- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि;
- (viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
- (ix) सिंचाई;
- (x) लोक निर्माण विभाग।
- (5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्वंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी।
- (6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।
- (9) आंचलिक महायोजना के उपबंधों को पर्याप्त प्रचार प्रदान किया जाएगा।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--
- (1) भू-उपयोग पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्घ विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं0 12, 17, 23, 29, और 32 के अधीन क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,
- (iv) वर्षा जल संचय, और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं, :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, इसमें पैरा 3 में निर्दिष्ट मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुउत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

- (2) प्राकृतिक जल स्रोतों आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।
- **(3) पर्यटन** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटक महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचिलक महायोजना का एक भाग बनेंगे।
- (ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी।
  - (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-
    - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;
    - (ii) पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे ।

परंतु आंचलिक महायोजना के अनुसार विद्यमान प्रतिष्ठापनों के विस्तार को अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) परंतु संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक होटल और रिसोर्ट की स्थापना आंचलिक महायोजना के अनुसार किया जा सकेगा ।

परंतु यह और कि इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन में 2 मंजिल और 5000 वर्ग फीट और अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरंजीमाला अभयारण्य, पम्पपाडन शोला राष्ट्रीय उद्यान और चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन में 3 मंजिल और 7500 वर्ग फीट तक सीमित होंगे ।

परन्तु यह और कि भूमि स्तर के निर्माण के नीचे जैसे पार्किंग क्षेत्र आदि की अनुमति नहीं दी जायेगी।

- (iv) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।
- (4) नैसर्गिक विरासत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की

पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी संरक्षा और सुरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

- (5) मानव-निर्मित विरासत स्थल पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- **(6) ध्विन प्रदूषण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (7) वायु प्रदूषण पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (**8) बहिस्राव का निस्सारण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।
  - (9) ठोस अपशिष्ट ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -
  - (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिशष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपिशष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
  - (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे :
  - (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा;
  - (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और, वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (11) यानीय यातायात परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचिलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचिलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

## (12) औद्योगिक इकाईयां-

- (क) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को सिवाए विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- (ख) जल, वायु, मृदा, ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

#### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	सारणा <b>टिप्पणियां</b>
(1)	(2)	(3)
		प्रतिषिध्द क्रियाकलाप :
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की सद्भावपूर्ण घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है।  (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मीलो की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलो का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	किन्ही परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्नाव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारणं	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :
		परंतु विद्यमान नए काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार चालू रह सकते हैं ;
10.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए
	अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा ।
		(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है।
		(ग) सतही या भूजल का विव्रय अनुज्ञात नहीं होगा ।
		(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
11.	ठोस अपशिष्टों/प्लास्टिक अपशिष्टों/रसायनिक अपशिष्टों को नदी और भू-क्षेत्र में डालना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
		विनियमित क्रियाकलाप
12.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को सिवाए पारिस्थितिकी के अनुकूल पर्यटन कार्यकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी अवास के राष्ट्रीय पार्क की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
		पंरतु विद्यमान प्रतिष्ठापनों के विस्तार को आंचलिक महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा ।
		(ख) तथापि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिसोर्टों को आंचलिक महायोजना के अधीन रहते हुए स्थापित किया जा सकेगा।
		परंतु यह और कि इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान के चारों और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में 2 मंजिल और 5000 वर्ग फीट और अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरंजीमाला अभयारण्य, पम्पपाडन शोला राष्ट्रीय उद्यान और चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन में 3 मंजिल और 7500 वर्ग फीट तक सीमित होंगे।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	पंरतु यह और कि भूमि से नीचे संनिर्माण जैसे पार्किंग क्षेत्र आदि को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी
		भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध

		क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।
		(ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों तो, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से न्यूनतम रखा जाएगा।
		(ग) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण और अन्य संनिर्माण क्रियाकलापों को महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा। परंतु यह और कि इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान के चारों और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में 2 मंजिल और 5000 वर्ग फीट और अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरंजीमाला अभयारण्य, पम्पपाडन शोला राष्ट्रीय उद्यान और चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन में 3 मंजिल और 7500 वर्ग फीट तक सीमित होंगे।
		पंरतु यह और कि भूमि से नीचे संनिर्माण जैसे पार्किंग क्षेत्र आदि को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
		(घ) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे ।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना
		वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी।
		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
		 (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा ।
15.	विद्युत केबलों, पारेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबल डालने का संवर्धन।
16.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
19.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्नाव का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान	उपचारित बहिर्स्नाव के पुन:चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
22.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

23.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु	पारिस्थितिकी संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु	
23.	उद्योग।		
		और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित	
		देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो	
		पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात	
		किया जाएगा ।	
24.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
	उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।		
25.	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
26.	दुकानदारों द्वारा पालिथीन के बैगों	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
	का उपयोग ।	· ·	
27.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
		संवर्धित क्रियाकलाप	
28.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
	कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ	·	
	डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और		
	मत्स्य पालन।		
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।	
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।	
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।	
01.	प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	,	
32	ì	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।	
32.	ì	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।	
32. 33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । बायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा ।	

5. मानीटरी सिमिति- (1) केंद्रीय सरकार, (1) इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, (2) चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, (3) अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, (4) कुरंजीमाला वन्यजीव अभयारण्य और (5) पम्पपाडन शोला राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी सिमिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

i)	जिला कलेक्टर, इडुकी	अध्यक्ष
ii)	विधान सभा सदस्य देवीकोलम (इस शर्त के अधीन रहते हुए कि केरल सरकार	सदस्य
,	अन्य बातों के साथ केरल विधान सभा के सभापति से अनुज्ञा सहित सुसंगत	
	अनुमोदन, यदि अपेक्षित हो, प्राप्त करेगी)	
iii)	अध्यक्ष, जिला पंचायत, इडुकी	सदस्य
iv)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन का केरल सरकार द्वारा	सदस्य
,	प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक	
	प्रतिनिधि	
v)	राज्य में विख्यात विश्वविद्यालय या संस्थान से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के	सदस्य
•	क्षेत्र से केरल सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए	
	नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ	
vi)	जिला अधिकारी, केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इडुकी	सदस्य
vii)	संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी, (प्रादेशिक)	सदस्य
viii)	वन्यजीव वार्डन, मन्नार वन्यजीव प्रभाग	सदस्य-सचिव

#### निर्देश निबंधन

- (2) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- 6. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंध, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/64/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध ।

### पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

## इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के पारिस्थितिक संवदी जोन का सीमा वर्णन

**उत्तर-** इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी भाग में तमिलनाडु को पारिस्थितिक संवदी जोन में प्रस्तावित नही किया गया ।

**पूर्व-** पूर्वी दिशा की सीमा पी 37 से शुरु करके पी 38 (77.051895पू.)10.133534उ.), 39(77.059066पू.-10.134159उ.) और 40 (77.066028पू 10.139471उ.) तक प्रारम्भ है। मुन्नार पी40 तक –पी 41 (77.072936पू.10146418उ.) पी 42(77.678366पू.10.151109उ.) और पी43(77.087327पू. 10.1555909उ.से होकर उत्तर पूर्वी दिशा में उद्मलपेट सड़क की सीमा मृडती हई. (77.093453प्10.160524उ),45(77.1000398प्10.169968उ.),46(77.10482प्.10.170673उ.)और47 (77.112572पू. 10.174577उ ) उत्तर – पूर्वी दिशा मे शिखर की ओर मुडते हुए जिसकी उँचाई 2086 मी है।उत्तर पूर्वी 48(77.114156पू.10.176429उ.),49(77.122378पू.10180912उ.) और50(77.124302पू 10184494उ.)पी 47तक जाते है इसके बाद पी 51(77.1258855पू. पू 10.189540उ) और 52(77.133037पू 10194501उ उत्तर पूर्वी दिशा में इसके बाद पी 52 53(77.134446पू 10.1984763 उ.), 54(77.136915 पू.10.201865उ.) और 55 ( 77.13946उपू. 10208588उ ) उत्तर पूर्वी दिशा में इसके बाद पी 56(77.13889पू 10.21359उ ) में पहुचती है वी 56 पश्चिम की सीमा से अग्रसर होकर पी 57(77.12962पू 1021354उ.) तक पहुचती है । पारिस्थितिक संवेदी जोन में इस बिन्दु से बिन्दु 58(77.13283पू 10.2286उ.) तक वास्तव में कुछ नही है इसके बाद पी 58 (77.142845पू. 10.232199उ.)से पी(77.138628पू.10236005उ.) उत्तर पश्चिम दिशा की सीमा में पी 59से पी 60 (77.131035पू. 10.239485उ.) 61(77.120453पू. 10245917उ.), 62 (77.111209पू 10.248947उ.)और 63 (77.11027प10.257125उ.)तक पी 63 उत्तर पूर्वी दिशा से पी 64 77.12194पू. 10267514उ. 65(77.626385पू 10276064उ.),66(77.130196पू 10283943उ ),67( 77.131662पू 10291163उ) और 68 (77.12023पू 102999832 उ )तक पहुचती है पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पी 68से पी 69 (77.131058पू 10.292876उ.) तक समात्त होती है जो चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य कुडक्कड़ रिर्जव के मरयुर सैड़ल विभाग और इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान के तिराहे पर है।

**दक्षिण-** दक्षिण पूर्वी दिशा की सीमा पी 36(77.038948 पू 101333534 उ.) से पी 37(77.046148 पू.101333524 उ.) तक पहुचती है पूर्वी दिशा के निकट मुन्नार उदुमलपेट सडक से पूर्वी दिशा की सीमा की ओर पी 38(77.051895 पू10.133534 उ.) में घुमती है।

**पश्चिम-** तमिलनाडु में अन्नामुडी रिर्जव, इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान और अन्नामलाई रिर्जव की दिक्षिण पश्चिम दिशा में पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के तिराहे से पी (77.044159पू 10.255505उ.) का प्रारंभ , इसके बाद दक्षिण पर्वी दिशा से आगे बढ़कर पी2 (77.048014पू 10.250477उ.) और इसके बाद यह दुबारा दक्षिण पूर्वी दिशा से आगे बढ़कर पी 4(77.054334 पू. 10241177उ.) दक्षिण पश्चिम दिशा से आगे बढ़कर पी5(77.053793पू.10241177उ.) तक इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में पी6(77.052146पू.10239341उ) इसके बाद पी 7(77.035809पू. 10237017उ.) पर्वत श्रेणी के पास की सीमा आगे बढ़ती है । पी8 (77.029475पू. 10236203उ.) पश्चिम दिशा के निरंतर में और पश्चिम दिशा में पी9 77.024404पू 10.236489उ. इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में पी 10(77.019489 पू. 1023509उ.) और दक्षिण पश्चिम दिशा में पी 11(77.011525पू.10.230449उ.) पी 12(77.007579पू 10225785उ.) के निरंतर है दक्षिणपश्चिम दिशा के

पी 12 से पी 13(77.006354पू 10221288उ.) तक आगे बढती और दक्षिण पूर्वी दिशा में पी14(77.008026पू102156799उ.)और इसके बाद दक्षिण पूर्वी दिशा में पी-15 (77.012278पू 10.211448उ.) इसके बाद दक्षिण पूर्वी दिशा में पी 16(77.015944पू 10204655उ.)और पी 17(77.022977पू 10.19735उ.) 41रपायारकुडीं व्यवस्था के पार यह दक्षिण दिशा पी 18 से पी 19 (77.29629पू 10.184729उ.) तक मुडती है और इसके बाद यह उत्तर पश्चिम दिशा के पी 20(77.025057पू 10185934उ.) से आगे बढकर और इसके बाद यह दक्षिण पश्चिम दिशा में पी21(77.020188पू 10184898उ.) से आगे बढकर दक्षिण पश्चिम दिशा के पी 21,पी22 (77.014985पू

0182292उ.) 23 (77.010847 पू. 10.179687 उ.) 24 (77.005436 पू.10.177685 उ.) 25 (76.99916 पू. 10175134उ.) और 26(76.997899पू.10.1706526उ.) तक पहुचती है इसके बाद यह दक्षिण पश्चिम दिशा के पी 27(76.998671पू010.158933उ.) से आगे बढ़ती है इसके बाद दक्षिण पूर्वी दिशा में पी 28(77.001478पू. 10158933उ.) और पी29(77.004163पू 10.155783उ.) पूर्वी दिशा से पी 30 (77.0007022पू. 10154584 उ.) के लिए मुड़ती है इसके बाद उत्तर पूर्वी दिशा सीमा से पी 31 (77.012167पू10154103उ.) के लिए मुड़ती है और इसके बाद पूर्वी दिशा के निकट राजमाला पेटीमुड़ी सड़क के पास से पी 32 (77.017068पू10.148531उ.) मुड़ती है दक्षिण पूर्वी दिशा सड़क पी 33(77.017111पू 10141411उ.)पी 48तक पहुचाती है और इसके बाद दक्षिण पूर्वी दिशा में पी 34(77.020757पू 10135404उ.) और पी 35(77.031442पू 10.13333310उ.) मुड़ती है इसके बाद दक्षिणपूर्वी दिशा में पी 36 (77.038998 पू.10.1333534उ.) मुड़ती है।

## 2.चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवदी जोन के आसपास की पारिस्थितिक संवदी जोन की सीमा वर्णन

**उत्तर -** चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी भाग में तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिर्जव को पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रस्तावित नहीं किया गया

**पूर्व**- चिन्नार वन्यजीव अभयारण्यके पूर्वी भाग में तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिर्जव को पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रस्तावित नहीं किया गया ।

दक्षिण चिन्नार वन्यजीव के दक्षिणभाग के प्राकृतिक क्षेत्र के पारिस्थितिक संवदी जोन में प्रास्तावित नहीं किया गया **पश्चिम**- इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान , चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य और मरयुर सैंडल विभाग की सीमा के तिराहे तक , पारिस्थितिक संवदी जोन की सीमा पुवर के निकट बिंदु 69 77.131058 पू. 10292876उ और दक्षिणपूर्व में कप्पाकीजहंगु वाइकल के निकट बिंदु 71 77.157965पू10.297401उ.तक यह बिंदु दुबारा दक्षिणपूर्व में पुरावयल के निकट बिंदु72(77.158ध्614पू.10289835उ.) तक आगे बढता है उत्तर पूर्व से पुरावयल की ओर चिन्नार वन्यजीव अभयारण की सीमा बिंदु 73(77.16674पू 10.2937उ.)तक पहुचती है।

## 3 -अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान के आसपास की पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा वर्णन

**उत्तर** -अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी भाग में चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य को पारिस्थितिक संवदी जोन में प्रस्तावित नहीं किया गया ।

**पूर्व** -पूर्वी भाग में सम्मिलित प्राकृतिक वास क्षेत्र और कुरजीमाला अभयारण्य के पारिस्थितिक संवदी जोन में प्रस्तावित नहीं किया गया ।

**दक्षिण-** दक्षिण भाग में सम्मिलित प्राकृतिक वास क्षेत्र और यहाँ से पारिस्थितिक संवदी जोन में प्रस्तावित नहीं किया गया । **पश्चिम** -भाग में सम्मिलित प्राकृतिक वास क्षेत्र और यहाँ से पारिस्थितिक संवदी जोन में प्रस्तावित नहीं किया गया ।

## 4- कुरंजीमाला वन्यजीव अभयारण्य के आसपास की पारिस्थितिक संवदी जोन का सीमा वर्णन

**उत्तर** -कुरंजीमाला वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी भाग में चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य को प्रस्तावित नहीं किया गया ।

**पूर्व** - कुरंजीमाला वन्यजीव अभयारण्य के पूर्वी भाग में तमिलनाडु के कोडाईकनल विभाग को पारिस्थितिक संवदी जोन में प्रस्तावित नहीं किया गया ।

**दक्षिण** -कुरंजीमाला अभयारण्य के दक्षिण भाग में प्राकृतिक वास पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान को पारिस्थितिक संवदी जोन में प्रस्तावित नहीं किया गया ।

**पश्चिम**- कुरंजीमाला अभयारण्य के दक्षिण भाग में प्राकृतिक वास को पारिस्थितिक संवदी जोन में प्रस्तावित नही किया गया।

## 5- पम्पादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा वर्णन


उत्तर- पारिस्थितिक संवदी जोन से पम्पादम शोला राष्ट्रीय उद्यान तक बिन्दु 74 (77.25668पू10.16257उ.) है और इसके बाद आगे बढ़कर बिंदु 75(77.25453पू.10.16964उ.) इसके बाद आगे बढ़कर टाटा टी बगान के निकट आ.सी विभाग बिंदु 76(77.247525पू.10164625उ.) इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर पार्श्व बिंदु 77(77.244815पू.10.163296उ.)78(77.24066पू 10.160541उ.) जो वटावडा क्षेत्र में बिंदु 79(77.237315प 10.15725उ.) तक पहुचाता है इसके बाद उत्तर की ओर कम एवं अधिक मुड़कर पार्श्व बिंदु 80(77.23609पू 10152753उ.)

पूर्व- पम्पादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के पूर्वी भाग में तमिलनाडु को पारिस्थितिक संवदी जोन में प्रस्तावित नहीं किया गया।

**दक्षिण**- उत्तर -पूर्व दिशा में बिंदु 84 (77.236977 पू 10.127196उ) तक और भूमिमाला के निकट बिंदु 85(77.241559पू 10.128652उ) और बिंदु 86(77.246169पू 10.129011उ) तक पहुंचती है।

**पश्चिम** - दक्षिण –पश्चिम दिशा में ओरकड क्षेत्र से शुरू होकर और बिंदु  $81(77.236577 \text{पू}\ 10.1461133)$  और बिंदु  $82(77.2367156 \text{पू}\ 10.1396013)$  को फैलाया, इसके बाद दक्षिणी दिशा के मंथलम में बिंदु  $83(77.23642 \text{पू}\ 10.1314013)$  और बिंदु  $84(77.236977 \text{प}\ 10.1271963)$  पहुंचती है।

उपाबंध-।। अक्षांश और देशांतर सहित पारिस्थिति की संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध III

## पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के प्रमुख स्थान के अक्षांश और देशान्तर

मुख्य बिन्दु	देशान्तर	अक्षांश	स्थान
1	77.044159	10.255505	
			ईरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान अन्नामुडी रिर्जव वन के तिहारा पर और तमिलनाडु के वैमबैनथैन्नी में अन्नामलाई रिर्जव वन
2	77.048014	10.250477	अन्नामुडी रिर्जव वन में अम्माकुटी
3	77.054393	10.242576	अन्नामुडी रिर्जव वन में चेमबीकनावा
4	77.054334	10.241177	अन्नामुडी रिर्जव वन में मेंथरुड
5	77.053793	10.24017	इरुमामला के पश्चिम में स्थित
6	77.052146	10.239341	इरनथुवल जलप्रताप के पूर्व में स्थित
7	77.035809	10.237017	अन्नामुडी रिर्जव वन में इरुमीमाला
8	77.029475	10.236203	ईरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर पूर्व में स्थित
9	77.024404	10.236484	कोलुकामला के उत्तर पश्चिम में स्थित
10	77.019489	10.23509	कोलुकोमाला और चेम्पुकुलम के बीच में स्थित
11	77.011525	10.230449	चेम्पुकुलम के दक्षिण पूर्व में स्थित
12	77.007579	10.225785	अन्नामुडी रिर्जव वन में स्थित
13	77.006354	10.221288	अन्नामुडी रिर्जव वन में स्थित
14	77.008026	10.215679	बेमामाला के पश्चिम में स्थित
15	77.012278	10.211448	अन्नामुडी रिजर्व वन में स्थित
16	77.015944	10.204655	अन्नामुडी रिजर्व वन में स्थित
17	77.022977	10.201344	पारापायारकुडी भूमि व्यवस्था के उत्तर पश्चिम में स्थित
18	77.028599	10.197135	पारापायारकुडी भूमि व्यवस्था के दक्षिण पूर्व में स्थित
19	77.029626	10.184729	पी 18 के दक्षिण में स्थित
20	77.025057	10.185934	चेमबनकुथु के पूर्व में स्थित
21	77.020188	10.184898	अन्नामुडी रिजर्व वन में स्थित
22	77.014985	10.182292	अन्नामुडी रिजर्व वन  में  इनीपारा

मुख्य बिन्दु	देशान्तर	अक्षांश	स्थान
23	77.010847	10.179687	मेनथोटी के पश्चिम में स्थित
24	77.005436	10.177685	ईरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान के  पश्चिम में स्थित
25	76.999916	10.175134	जनडा संख्या 1 के पश्चिम में स्थित
26	76.997899	10.170626	अन्नामुडी रिर्जव वन में स्थित
27	76.998671	10.165378	अन्नामुडी रिर्जव वन में स्थित
28	77.001478	10.158933	अन्नामुडी रिर्जव वन में स्थित
29	77.004163	10.155783	पेटीमुडी चाय बगान पर स्थित
30	77.007022	10.154584	पेटीमुडी चाय बगान पर स्थित
31	77.012167	10.154103	पेटीमुडी चाय बगान पर स्थित
32	77.017068	10.148531	पेटीमुडी चाय बगान पर स्थित
33	77.017111	10.141413	राजमाला चाय बगान पर स्थित
34	77.020757	10.135404	राजमाला चाय बगान पर स्थित
35	77.031442	10.133313	राजमाला में स्थित
36	77.038948	10.133524	राजमाला के पर्यटन जोन में स्थित
37	77.046148	10.133802	राजमाला के पर्यटन जोन में स्थित
38	77.051895	10.133534	राजमाला के पर्यटन जोन में स्थित
39	77.059066	10.134159	राजमाला के पर्यटन जोन में स्थित
40	77.066028	10.139471	राजमाला के पर्यटन जोन में स्थित
41	77.072936	10.146418	नायमकड चाय बगान में स्थित
42	77.078366	10.151109	मुनार-उदमलपेट सडक के दक्षिण पूर्व में स्थित
43	77.087327	10.155909	मुनार-उदमलपेट सडक के दक्षिण पूर्व में स्थित
44	77.093453	10.160524	वगुवराय चाय बगान के पश्चिम में स्थित
45	77.100398	10.164968	वगुवराय चाय बगान में स्थित
46	77.104821	10.170673	वगुवराय चाय बगान में स्थित
47	77.112572	10.174577	निचले वगुवराय चाय बगान में स्थित

मुख्य बिन्दु	देशान्तर	अक्षांश	स्थान
48	77.114156	10.176429	वगुवराय कारखाने के निकट
49	77.122378	10.180912	लेकोम चाय भूमि में स्थित
50	77.124302	10.184494	नवल चाय भूमि में स्थित
51	77.125855	10.18954	लेकुम नई चाय भूमि के पूर्वी सीमा में स्थित
52	77.133037	10.194501	वायकाडावु चाय भूमि के उत्तर पूर्व में स्थित
53	77.134446	10.198476	चटमुनार चाय भूमि में स्थित
54	77.136915	10.201865	चटमुनार चाय भूमि में स्थित
55	77.139465	10.208588	चटमुनार चाय भूमि में स्थित
56	77.13889	10.21359	थालायार चाय बगान में स्थित
57	77.12962	10.21354	ईरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में स्थित
58	77.13283	10.2286	ईरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान की  सीमा में स्थित
59	77.138628	10.236005	पालानाडु मे मुनार-मारायुर सड़क के दक्षिण मे स्थित
60	77.131035	10.239485	मारायुर सेंड़ल मंडल के कुड़ाकड़ रिजर्व वन में स्थित
61	77.120453	10.245917	मारायुर सेंड़ल मंडल के कुडाकडु रिजर्व वन में स्थित
62	77.111209	10.248947	मारायुर सेंड़ल मंडल के कुडाकडु रिजर्व वन में स्थित
63	77.116027	10.257125	मारायुर सेंड़ल मंडल के कुडाकडु रिजर्व वन में स्थित
64	77.121942	10.267514	मारायुर सेंड़ल मंडल के कुडाकडु रिजर्व वन में स्थित
65	77.126385	10.276064	मारायुर सेंड़ल मंडल के कुडाकडु रिजर्व वन में स्थित
66	77.130796	10.283943	मारायुर सेंड़ल मंडल के कुडाकडु रिजर्व वन में स्थित
67	77.131662	10.291963	मारायुर सेंड़ल मंडल के कुडाकडु रिजर्व वन में स्थित
68	77.12023	10.299832	मारायुर सेंड़ल मंडल के कुडाकडु रिजर्व वन में स्थित
69	77.131058	10.292876	मारायुर सेंड़ल मंडल और चिन्नार वन्य जीव अभयारण्य मे इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, कुडाकडो रिजर्व वन के तिराहे पर
70	77.152089	10.302172	कापाकीझांगु वाइकल -मारायुर सेंड़ल मंडल में कुडाकडो में पुवर के दक्षिण पूर्व में स्थित

मुख्य बिन्दु	देशान्तर	अक्षांश	स्थान
71	77.157965	10.297401	वेटाकरण माला - मारायुर सेंड़ल मंडल में कापाकीझांगु वाइकल के उत्तर पूर्व में स्थित
72	77.158614	10.289835	पुरावयल - मारायुर सेंड़ल मंडल और मारायुर गाँव में वेटाकरण माला दक्षिण पूर्व में स्थित
73	77.16674	10.2937	चिन्नार वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में स्थित
74	77.25668	10.16257	कुरंजी माला वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में स्थित
75	77.25453	10.16964	मानाथआलम क्षेत्र में स्थित
76	77.247525	10.164625	टाटा-टी ओसी मंडल के निकट स्थित
77	77.244815	10.163296	पाजाहाथोओटम के निकट स्थित
78	77.24066	10.160541	पाजाहाथोओटम के निकट स्थित
79	77.237315	10.15725	वाटावाडा के निकट स्थित
80	77.23609	10.152753	वाटावाडा के निकट स्थित
81	77.236577	10.146113	ओरकुडो के निकट स्थित
82	77.236715	10.139601	ओराकुडो निकट स्थित
83	77.23642	10.131401	ओराकुडो के निकट स्थित
84	77.236977	10.127196	मानाथलम के निकट स्थित
85	77.241559	10.128652	मानाथलम के निकट स्थित
86	77.246169	10.129011	इसटाटेमाला के निकट स्थित
87	77.213405	10.239395	ओलावाटाकुडी के निकट स्थित
88	77.21218	10.234898	गुहानातापुरम के निकट स्थित
89	77.213731	10.227051	गुहानातापुरम के निकट स्थित
90	77.20001	10.204652	पुथुर के निकट स्थित
91	77.196469	10.206017	पेरुमाला के निकट स्थित
92	77.191858	10.207845	कंधालुर के निकट स्थित
93	77.184416	10.207516	कीजहानुर के निकट स्थित
94	77.177819	10.207623	कुलायुतामलाकुडी के निकट स्थित
95	77.167143	10.207326	थीरथमाला के निकट स्थित
96	77.152441	10.206039	थीरथमाला के निकट स्थित
97	77.149096	10.202748	ओटाकोमबुमाला के निकट स्थित
98	77.148011	10.195557	थीनमाला के निकट स्थित
99	77.148402	10.184349	थीनमाला के निकट स्थित
100	77.148402	10.184349	कुडाला संतोष और थाइन माला के बीच स्थित

मुख्य बिन्दु	देशान्तर	अक्षांश	स्थान
101	77.154646	10.180003	कुडाला संतोष और थाइन माला के बीच स्थित
102	77.159374	10.175738	कुडाला संतोष
103	77.164519	10.175081	कुंडाला संतोष और पी -आर विभाग के बीच स्थित
104	77.170322	10.168902	कुंडाला संतोष और पी -आर विभाग के बीच स्थित
105	77.174469	10.167021	पी -आर विभाग
106	77.178447	10.165354	चीतुवारा चाय भूमि और पी -आर विभाग के बीच स्थित
107	77.181147	10.164519	चीतुवारा चाय भूमि और पी -आर के बीच स्थित
108	77.185473	10.164726	चीतुवारा चाय भूमि और पी -आर के बीच स्थित
109	77.189861	10.166063	चीतुवारा चाय भूमि और पी -आर के बीच स्थित
110	77.196999	10.170407	चीतुवारा चाय भूमिऔर पी -आर के बीच स्थित
111	77.203511	10.17289	चीतुवारा चाय भूमिऔर पि -आर विभाग के बीच स्थित
112	77.207128	10.171269	चीतुवारा चाय भूमि
113	77.211393	10.166904	ओटामरम और चीतुवारा चाय भूमि के बीच स्थित
114	77.216857	10.164974	ओटामरम और चीतुवारा चाय भूमि के बीच स्थित
115	77.223842	10.163992	ओटामरम
116	77.230362	10.160449	पाजाथोटम और ओटामरम के बीच स्थित
117	77.238003	10.162269	पाजाथोटम के निकट स्थित
118	77.24177	10.167544	मेमल के निकट स्थित
119	77.24551	10.177971	चिलानथीयर के निकट स्थित
120	77.251161	10.184664	चिलानथीयर के निकट स्थित
121	77.251992	10.195884	चिलानथीयर के निकट स्थित
122	77.253145	10.196842	चिलानथीयर के निकट स्थित
123	77.241068	10.234519	कोटीयर के निकट स्थित
124	77.254077	10.197248	चिलानथीयर के निकट स्थित
125	77.255593	10.19636	कोटाकम्बुर के निकट स्थित
126	77.259293	10.195367	कोटाकम्बुर और चोलाकलु के निकट स्थित
127	77.260743	10.191912	कोटाकम्बुर और चोलाकलु के निकट स्थित
128	77.260371	10.188192	चोलाकलु के निकट स्थित
129	77.260716	10.183164	चोलाकलु और पेरीयाकडु के निकट स्थित
130	77.261949	10.179606	चोलाकलु और पेरीयाकडु के निकट स्थित
131	77.260821	10.176331	पेरीयाकडु
132	77.25894	10.172599	पेरीयाकडु और करथीकडु के बीच स्थित
133	77.256437	10.171268	करथीकडु के निकट स्थित

मुख्य बिन्दु	देशान्तर	अक्षांश	स्थान
134	77.254067	10.170919	मनथलम के बीच स्थित
135	77.250448	10.169069	पी ऐस एन पी सीमा के निकट स्थित
136	77.247525	10.164625	टाटा-टी ओसी मंडल के निकट स्थित
137	77.244815	10.163296	रिजर्व वन के निकट स्थित पाजाहाथोओटम के निकट स्थित
138	77.24066	10.160541	रिजर्व वन के निकट स्थित पाजाहाथोओटम के निकट स्थित
139	77.237315	10.15725	वाटावाडा के निकट स्थित
140	77.23609	10.152753	वाटावाडा के निकट स्थित
141	77.236577	10.146113	ओरकुडो के निकट स्थित
142	77.236715	10.139601	ओरकुडो के निकट स्थित
143	77.23642	10.131401	ओरकुडो के निकट स्थित
144	77.236977	10.1271196	पाजाहाथोओटम के निकट स्थित
145	77.241559	10.128652	पाजाहाथोओटम के निकट स्थित
146	77.246169	10.129011	इसटाटेमाला के निकट स्थित

## उपाबंध III

## पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्रामों और निहित वनों की सूची

जिला: इडुक्की

तालुक : देवीकोलम

क्र.सं	ग्राम	स्थिति (आंशिक/ पूर्ण)
1	कानन देवी हिल गाँव	आंशिक
2	मारायुर	आंशिक
3	केजथानथुर	आंशिक
4	केनथालुर	आंशिक
5	कोटाकम्बुर	आंशिक
6	वाटावाडा	आंशिक

क्र.सं	जिला	आर –एफ के नाम	अधिसूचना सं और दिनांक	प्रशासन नियंत्रण	क्षेत्र (कि.मी)
1	इडुक्की	टीरथालार आर . एफ	सं.5634/ एफ <b>इ</b> 2/68/ए डी दिनांक 15 जुलाई1968	मारायार एफ डी	3.94
2	इडुक्की	वानानमरा सैडल आर . एफ	सं. 1208 /32/ वि. दिनांक 8 जुलाई 1932	मारायार एफ डी	5.25
3	इडुक्की	सैडल आर . एफ सं <b>.51</b>	सं.एस.आर.1724 दिनांक 22 अक्टूबर 1903	मारायार एफ डी	0.34
4	इडुक्की	सैडल आर एफ सं <b>. 54</b>	दिनांक 14 अगस्त 1908	मारायार एफ डी	0.127
5	इडुक्की	सैडल आर . एफ सं <b>.51</b> ऐक्स	सं. एफ आर.1724 दिनांक 1903 अक्टूबर2	मारायार एफ डी	2.80
6	इडुक्की	कुडाकडु रिर्जव	सं.5634/ एफ इ 2/68/ए. डी दिनांक 15 <sup>th</sup> जुलाई1968	मारायार एफ डी	15.78
7	इडुक्की	अन्नामुडी आर एफ	एफ ए 2.1084/57 ए.डी दिनांक 1969 अगस्त 6	मुन्नार एफ डी	31.50
_		कुल			59.737

#### उपाबंध IV

## की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा- पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
- 3. आंचलिक महयोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश । ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
- 5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश।
- 6. ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश
- 8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2016

**S.O.** 66(E).- The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: <a href="mailto:esz-mef@nic.in">esz-mef@nic.in</a>

#### **Draft Notification**

S.O...... WHEREAS, the Eravikulam National Park, Chinnar Wildlife Sanctuary, Anamudi Shola National Park, Pampadum Shola National Park and Kurinjimala Sanctuary are contiguous Protected Areas located in the Western Ghats in the State of Kerala in Munnar Wildlife Division, Idukki district having key conservation and environmental values;

AND WHEREAS, Eravikulam National Park is located between  $10^0$  05' –  $10^0$  20' N Latitude and  $77^0$  0' –  $77^0$  10' E Longitude in the Devikulam Taluk in Idukki District, and has an extent of 97 square kilometres;

AND WHEREAS, Eravikulam National Park supports the largest population of around Nilgiri Tahr (*Nilgiritragus hylocrius*) in the world and also harbours important fauna such as Nilgiri Marten, Ruddy Mongoose, Small Clawed Otter, Dusky Striped Squirrel etc.;

AND WHEREAS, the Eravikulam National Park represents the largest and least disturbed stretch of the unique Montane Shola-Grassland vegetation in the Western Ghats and is also a habitat of Neelakurinji (*Strobilanthes kunthianam*), which blooms once in 12 years and *Raorchestes resplendens*, a frog species found only in the National park;

AND WHEREAS, the Eravikulam National Park is catchment for east flowing River Pambar and west flowing Rivers Periyar and Chalakkudy river;

AND WHEREAS, there are many temperate species like *Mahonia leschnaultti, Rhododendron arboreum, Gaultheria fragrantissima, Berberis tinctoria, rare orchids like Brachycorythis wightii, Habenarea flabelliformis,* wild varieties of cultivated plants like *Piper schmidtti and Elateria cardamomum* which are found in the Eravikulam National Park; AND WHEREAS, Chinnar Wildlife Sanctuary is located in the eastern part of the High Ranges of southern Western Ghats of Kerala between 10° 15' to 10° 21' N latitude 77° 05' to 77° 16' E longitude, in the Marayoor and Kanthalloor Panchayat of Devikulam Taluk in Idukki District and has a total area of 90.44 square kilometre;

AND WHEREAS, the Chinnar Wildlife Sanctuary is the only protected area in the State of Kerala located in the rain shadow region of Western Ghats and due to the significant variation in altitude and rainfall, it has a wide array of habitat types like deciduous forests, dry thorny forest, riparian forest, sholas and grasslands that are interspersed with plains, hillocks, rocks and cliffs which provide habitats for varied flora and fauna;

AND WHEREAS, the Chinnar Wildlife Sanctuary harbours grizzled giant squirrel, marsh crocodile, star tortoise, Yellow throated bulbul and tufted grey langur, rich reptilian fauna and *Albizia lathamii*, a critically endangered species;

AND WHEREAS, the Chinnar Wildlife Sanctuary is the only link between Anamalai hills and the Kodaikkanal slopes and occupies a crucial position in the eastern slope forests of the Western Ghats and is the catchment area of Amaravathi reservoir in Tamilnadu;

AND WHEREAS, the Chinnar Willdife sanctuary supports Acacia spp., Euphorbia spp., Capparis spp., Opuntia spp., Ziziphus spp., Grewia spp., Cordia spp., Albizia amara, Atalantia monophylla, pleiospermium alatum, Prosopis juliflora, Dichrostachys cinerea, Diospyros cordifolia, Pisonia aculeate, Carissa carandas, Strychnos potatorum, Ceropegia juncea, Pergularia daemia, Caralluma spp., Helixanthera spp., etc;

AND WHEREAS, the dry open scrub forests of Chinnar Wildlife Sanctuary provide an excellent habitat for a wide variety of mammals, birds, reptiles and butterflies and the sanctuary supports 225 species of birds, 52 species of reptiles and 14 species of fishes;

AND WHEREAS, the sanctuary is home to Elephant, Tiger, Leopard, Gaur, Bonnet Macaque, Hanuman Langur, Nilgiri Langur, Slender Loris, Rusty Spotted Cat, Nilgiri tahr, Wild Boar, Sambar, Spotted Deer, Barking Deer, Porcupine, Wild Dog, Sloth Bear, Jungle Cat, Malabar Giant Squirrel, Common Flying Squirrel etc.;

AND WHEREAS, the Anamudi Shola National Park is located on the north –eastern part of southern Western Ghats in the villages of Kanthaloor and Kottakamboor of Davikulam Taluk of Idukki District;

AND WHEREAS, the Anamudi Shola National Park has the Mannavan Shola forest which is the largest shola forest patch in South India and harbours the giant fern, *Cyathia crinita* and supports 543 species of Pteridophytes and Angiosperms of which nearly 20 % (109 species) are endemic of the 16 endemic birds of Western Ghats found in Kerala, 9 species are reported from the Anamudi National Park;

AND WHEREAS, the vegetation of the Anamudi National includes Acrunychia pedunculata, Actenodaphne malabarica, Celtis tetrandra, Daphniphyllum neilgherense, Elaeocarpus munronii, Cinnamomun Macrocarpum, Ficus levis, Gomphandra coriacea, Litsea coriacea, Persea macrantha, Mastixia arborea, Curculago orchioides, Carex filicina, Celosia pulchella, Chenopodium ambrossoides, Aerides ringens Oberonia chandrasekharanii, Drosera peltata etc.;

AND WHEREAS, the Kurinjimala Wildlife Sanctuary is situated between between  $10^{0}$ 7' -  $10^{0}$ N latitude and  $77^{0}$ 14 –  $77^{0}$ 17'30"E longitude in Kottakombur and Vattavada villages in Devikulam Taluk of Idukki District and is located on the eastern slopes of the Vattavada valley of the Southern Western Ghats of Kerala and shares its boundary with Kodaikanal Forest Division of Tamil Nadu;

AND WHEREAS, Kurinjimala Wildlife Sanctuary is the first protected area of its kind in the State to be declared for the conservation of a flowering plant – *Strobilanthus kunthianus* (Nilakurinji)- which blooms once in twelve years;

AND WHEREAS, the vegetation comprises of forest types like Southern Montane Wet Grass lands, Southern Montane Wet Temperate Forests etc. and is a habitat of species like *Eulalia phaeothrix,Apocopsis mangalorensis, Dichanthium polypticum, Chrysopogon ceylanicum, Arundinella vaginata, Actinodaphne companulata,Cinnamomum sulphuratum,Rubia cordifolia,Clematis gouriana etc.;* 

AND WHEREAS, the Pampadum Shola National Park is is situated between 10<sup>0</sup>7' &10<sup>0</sup>10' N longitudes and 77<sup>0</sup> 14' &77<sup>0</sup> 17' 30'' E longitude in the Vattavada village of Davikulam Taluk, Idukki district and is spread over an an area of 11.753 square kilometres;

AND WHEREAS, the Pampadum Shola National Park has a large number of plants and animals unique to the Shola vegetation and the vegetation comprises of species viz; Actenodaphne malabarica, Alnus nepalensis, Celtis tetrandra, Canthium neilgherrense, Elaeocarpus munronii, E. recurvatus, E. tuberculatus,. Cinnamomun Macrocarpum, Ficus levis, Gomphandra coriacea, Litsea coriacea, Persea macrantha, Mastixia arborea, Syzigium species, Curculago orchioides, Carex filicina, Celosia pulchella, Chenopodium ambrossoides, Aerides ringens Oberonia chandrasekharanii, Drosera peltata etc.;

AND WHEREAS, the Pampadum Shola National park is a corridor connecting Kannan Daven Hills and Palani Hills and supports many endemic species including thirteen endemic butterflies;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the Protected Areas of the Eravikulam National Park, Chinnar Wildlife Sanctuary, Anamudi Shola National Park, Kurinjimala Wildlife Sanctuary and Pampadum Shola National Park as Eco-sensitive Zoness from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zoness;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of up to 1.5 kilometers from the boundaries of Eravikulam National Park, Chinnar Wildlife Sanctuary, Anamudi Shola National Park, Pampadum Shola National Park and Kurinjimala Sanctuary in the State of Kerala as the Eravikulam National Park, Chinnar Wildlife Sanctuary, Anamudi Shola National Park, Pampadum Shola National Park and Kurinjimala Sanctuary Eco-sensitive Zoness (herein after referred to as the Eco-sensitive Zoness) excluding the part sharing boundary with the State of Tamil Nadu, details of which are as under, namely:-

## 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zones.- (1) Extent OF Eco-sensitive Zones around Eravikulam National Park.-

(a) The Eco-Sensitive Zones covers a Geographical area of 73.59 Square Kilometers which includes part of Kannan Devi Village, in Devikulam Taluk of Idukki District of Kerala state.

(b)The extent of the Eco-Sensitive Zones varies from 1 Kilometers to 1.5 Kilometers from the notified boundary of the National Park.

#### (2) Extent of Eco-sensitive Zones around Chinnar Wildlife Sanctuary.-

- (a)The Eco-Sensitive Zones covers a Geographical area of 20.35 Square Kilometers which includes part of Marayur, Kezanthur and Kottakkampur Villages in Devikulam Taluk of Idukki District of Kerala state and also the reserve forests of Marayur Sandal Division
- (b) The extent of Eco Sensitive Zones is generally 1 Kilometers from the boundary of the Chinnar Wildlife Sanctuary.

#### (3) Extent of Eco-sensitive Zones around Anamudi Shola National Park.-

- (a) The Eco-sensitive Zones covers a geographical area of 33.97 square kilometres which includes parts of Kandhaloor and Kottakamboor Village in Devikulam Taluk of Idukki District.
  - (b) The extent of Eco-sensitive Zones is 1 kilometer from the boundary of the National Park.

#### (4) Extent of Eco-sensitive Zones around Kurinjimala Sanctuary.-

- (a) The Eco-sensitive Zones covers a geographical area on 8.12 square kilometres which includes party of Kottakombur and Vattavada villages in Devikulam Taluk of Idukki District of Kerala state.
- (b) The range of extent of the Eco-sensitive Zones is 1 kilometre from the notified boundary of the sanctuary.

#### (5) Extent of Eco-sensitive Zones around Pampadum Shola National Park.-

- (a)The Eco-Sensitive Zones covers a Geographical area of 5.64 Square Kilometers which includes part of Vattavada Village, in Devikulam Taluk of Idukki District of Kerala state.
- (b) The range of extent of the Eco-Sensitive Zones is 1 Km from the notified boundary of the National Park.
- (6) The detailed boundary description of the Eco-sensitive Zones is appended as **Annexure-I**.
- (7) The map of the Eco-sensitive Zoness along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II**
- (8) The list of villages covered by the Eco-sensitive Zoness and the notified reserved/vested forests falling within the Eco-sensitive Zoness are appended as **Annexure III.**
- **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zones.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zones prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
- (2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.
- (3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zones shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
- (i) Environment;
- (ii) Forest;
- (iii) Urban Development;
- (iv) Tourism, and;
- (v) Municipal;
- (vi) Revenue;
- (vii) Agriculture;
- (viii) State Pollution Control Board;
- (ix) Irrigation and;
- (x) Public Works Department;

for integrating environmental and ecological considerations into it;

- (5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zoness as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (9) Adequate publicity shall be given to the provisions of the Zonal Master Plan.

- 3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zoness shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zoness may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 17, 23, 29 and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco friendly tourism activities,,
- (ii) Widening and strengthening of existing roads,
- (iii) Small scale industries not causing pollution,
- (iv) Rainwater harvesting, and
- (v) Cottage industries including village artisans:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zoness shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) **Natural Springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zones shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Kerala in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Kerala.
- (c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zoness shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Ecosensitive Zoness;
- (ii) no new commercial hotels and resorts shall be permitted within the one kilometre from the boundary Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that extension of existing establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan. (iii) However, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area up to the extent of the Eco-sensitive Zones establishment of hotels and resorts may be done subject to the Zonal Master Plan:

Provided further that buildings shall to be limited to 2 storeys and 5000 sq.ft. in Eco-sensitive Zones around Eravikulam National Park and to 3 storeys and 7500 sq.ft. in Eco-sensitive Zoness around Anamudi Shola National Park, Kurinjimala Sanctuary Pampadum Shola National Park and Chinnar Wildlife Sanctuary Eco Sensitive Zoness:

Provided further that construction of below ground level like parking area etc shall not be allowed.

- (iv) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zoness, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zoness and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

- (6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zones in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zones in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zones shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.
- (9) Solid wastes. Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zones shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25<sup>th</sup> September 2000 as amended from time to time:
- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Ecosensitive Zones and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Ecosensitive Zones.
- (10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zones shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20<sup>th</sup> July, 1998 as amended from time to time.
- (11) **Vehicular traffic**. The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

#### (12) Industrial Units

- (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive Zones shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.
- (b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zones shall be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zones.- All activities in the Eco sensitive Zones shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

#### **TABLE**

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
<b>Prohibited Act</b>	ivities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zones.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Ecosensitive Zones shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable

		laws. Permitted for bonafide use of tribals.
5.	Establishment of new major	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable
	hydroelectric projects and irrigation projects.	laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zones:  Provided the existing wood-based industry may continue as per law
10	Commercial water resources including ground water harvesting.	<ul> <li>(a) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including for commercial mineral water plants and aerated drinks, bottling plants shall not be permitted in the Eco-sensitive Zones.</li> <li>(b) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for bona fide agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land.</li> <li>(c) No sale of surface water or ground water shall be permitted.</li> <li>(d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.</li> </ul>
11	Dumping of solid wastes/plastic wastes	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable
	/chemical wastes in the river and the land area	laws.
Regulated Act	ivities	
12.	Establishment of hotels and resorts.	(a) No new commercial hotels and resorts shall be permitted within the one kilometre from the boundary Protected Areas except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:  Provided that extension of existing establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan.  (b) However, beyond one kilomter from the boundary of the Protected Area up to the extent of the Eco-sensitive Zones establishment of hotels and resorts may be done subject to the Zonal Master Plan:  Provided further that buildings shall to be limited to 2 storeys and 5000 sq.ft. in Eco-sensitive Zones around Eravikulam National Park and to 3 storeys and 7500 sq.ft. in Eco-sensitive Zoness around Anamudi Shola National Park, Kurinjimala Sanctuary Pampadum Shola National Park and Chinnar Wildlife Sanctuary Eco Sensitive Zoness:  Provided further that construction of below ground level like parking area etc shall not be allowed.
13	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area:  Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3:  (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept

		at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any.  (c) However, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Areas up to the extent of the Eco-sensitive Zones commercial construction may be done subject to the Zonal Master Plan:  Provided that buildings shall to be limited to 2 storeys and 5000 sq.ft. in Eco-sensitive Zones around Eravikulam National Park and to 3 storeys and 7500 sq.ft. in Eco-sensitive Zones around Anamudi Shola National Park, Kurinjimala Sanctuary Pampadum Shola National Park and Chinnar Wildlife Sanctuary Eco Sensitive Zones:  Provided further that construction of below ground level like parking area etc shall not be allowed.  (d) construction activity in the Eco Sensitive Zones: shall be as per Zonal Master Plan
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) In case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
15.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agrobased industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zones, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest produce or Non- Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.

25	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
26	Use of polythene bags by shopkeepers.	Regulated under applicable laws.
27	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
	Promoted	Activities
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted.

**5. Monitoring Committee.-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eravikulam National Park (2) Chinnar Wildlife Sancutary, (3) Anamudi Shola National Park, (4) Pampadum shola national park, (5) Kurinjimala Sancutary Eco-sensitive Zones, which shall comprise of the following namely:-

(i) The District Collector, Idukki. —Chairman

(ii) The Member of Legislative Assembly, Devikolam - (Subject to the State Government of Kerala obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Kerala, if required).

(iii) President, District Panchayat, Idukki – —Member

(iv) One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Kerala for a term of one year in each case

– Member

-Member

(v) one expert in the area of ecology and environment from a reputed institution of University in the State to be nominated by the Government of Kerala for a term of one year in each case

– Member

(vi) Kerala Pollution Control Board, District Officer, Idukki

-Member

(vii) Concerned Divisional Forest Officer (Territorial)

-Member

(viii) The Wildlife Warden, Munnar Wildlife Divsion

-Member-Secretary

#### **Terms of Reference:**

- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zones, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zones, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park incharge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per proforma given in **Annexure IV**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- 7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/64/2015-ESZ-RE] Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

#### ANNEXURE-I

#### BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONES

1. Boundary Description of the Eco-Sensitive Zones around Eravikulam National Park:

**North** Northern part of the Eravikulam National Park is being Tamilnadu no Eco- Sensitive Zones is proposed.

East Starting from the P 37 Continuing in a Eastern direction the boundary moves through P 38 (77.051895 E 10.133534 N), 39 (77.059066 E 10.134159 N) and 40 (77.066028 E 10.139471 N) . From P40 on the Munnar - Udumalpet road the boundary moves in a north Eastern direction through P 41 (77.072936 E 10.146418 N), 42 (77.078366 E 10.151109 N) and 43 (77.087327 E 10.155909 N), then across the peak with elevation 2086 mtrs it moves in a North - North Eastern direction to P 44 (77.093453 E 10.160524 N), 45 (77.100398 E 10.164968" N), 46 (77.104821 E 10.170673 N) and 47 (77.112572 E 10.174577 N). From P47 it goes on a North Eastern direction to P48 (77.114156 E 10.176429 N), 49 (77.122378 E 10.180912 N) and 50 (77.124302 E 10.184494 N), then it moves on a North - North Eastern direction to P51 (77.125855 E 10.189540 N) and 52 (77.133037 E 10.194501 N), then the boundary proceeds in a North - North Eastern direction across P52, 53 (77.134446 E 10.198476 N), 54 (77.136915 E 10.201865 N) and 55 (77.139465 E 10.208588 N) till it reaches P56 (77.13889 E 10.21359 N). From P56 the boundary proceeds west till it reaches the point P57 (77.12962 E 10.21354 N). From this point to the point P58 (77.13283 E 10.2286 N) eco snesitive Zones is practically nil. Then from the point P58 (77.142845 E 10.232199 N) to 59 (77.138628 E 10.236005 N). From P59 the boundary proceeds in a North Western direction to P60 (77.131035 E 10.239485 N), 61 (77.120453 E 10.245917 N), 62 (77.111209 E 10.248947 N) and 63 (77.116027 E 10.257125 N). At P63 the boundary turns in a North Eastern direction to P64 (77.121942 E 10.267514 N), 65 (77.126385 E 10.276064 N), 66 (77.130196 E 10.283943 N), 67 (77.131662 E 10.291963 N) and 68 (77.12023 E 10.299832 N). From P68 the Eco-Sensitive Zones boundary ends at P69 (77.131058 E 10.292876 N) which is the tri junction of Chinnar Wildlife Sanctuary, Kudakkad Reserve of Marayoor Sandal Division and Eravikulam National Park.

From the P36 (77.038948 E 10.133534 N) in a South Eastern direction the boundary reaches to P37 (77.046148 E 10.133524 N) near the Munnar – Udumalpet road in a Eastern direction continuing in a Eastern direction the boundary moves to P38 (77.051895 E 10.133534 N).

Starting from the tri junction of Anamudy Reserve, Eravikulam National Park and Anamalai Reserve in Tamilnadu the boundary of Eco Sensitive Zones proceeds in a South Western direction to P1 (77.044159 E 10.255505 N), then it proceeds on South Eastern direction to P2 (77.048014 E 10.250477 N) and then it again proceeds on the South Eastern direction to P3 (77.054393 E 10.242576 N), then it proceeds to Southern direction to P4 (77.054334 E 10.241177 N). From P4 it proceeds on a South Southwestern direction to P5 (77.053793 E 10.241177N) then on a South western direction on P6 (77.052146 E 10.239341 N). Then the boundary proceeds along the ridge up to P7 (77.035809 E 10.237017 N). In a western direction and continuous to P8 (77.029475 E 10.236203 N) and P9 (77.024404 E 10.236484 N) in Western direction then to P10 (77.019489 E 10.23509 N) in a South Western direction and continuous to P11 (77.011525 E 10.230449 N) and P12 (77.007579 E 10.225785 N) in a South Western direction. From P12 it proceeds in a South Western direction to P13 (77.006354 E 10.221288 N) and in a South – South Eastern direction to P14 (77.008026 E 10.2156799 N) and then in a South Eastern direction to P15 (77.012278 E 10.211448 N). Then in a South Eastern direction to P16 (77.015944 E 10.204655 N) and P17 (77.022977 E 10.201344 N) and then cutting across Parappayarkudy Settlement to P18 (77.028599 E 10.197135 N). From P18 it moves on a Southern direction to P19 (77.029626 E 10.184729 N) and then it proceeds to P20 (77.025057 E 10.185934 N) in a North Western direction and then to P21 (77.020188 E 10.184898 N) in a South Western direction it proceeds in a South Western direction till it reaches P21, 22 (77.014985 E 10.182292 N), 23 (77.010847 E 10.179687 N), 24 (77.005436 E 10.177685 N), 25 (76.999916 E 10.175134 N) and 26 (76.997899 E 10.170626 N). Then it proceeds in a South - South Western direction to P27 76.998671 E 10.165378 N), then in a South Eastern direction to P28 (77.001478 E 10.158933 N) and P29 (77.004163 E 10.155783 N) then it moves in a Eastern direction to P30 (77.007022 E 10.154584 N). Then the boundary moves in a North – North Eastern direction to P31 (77.012167 E 10.154103 N) and then it moves in a Eastern direction to P32 (77.017068 E 10.148531 N) near the Rajamala – Pettymudy road. From P48 it reaches P33 (77.017111 E 10.141411 N) on the road moving in a South Eastern direction and then it moves to P34 (77.020757 E 10.135404 N) and P35 (77.031442 E 10.133313 N) in South - South Eastern direction, then it moves to P36 (77.038948 E 10.133534 N ) in a South Eastern direction.

## 2. Boundary Description of the Eco-Sensitive Zones around Chinnar Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zones :

**North** Northern part of Chinnar Wildlife Sanctuary being Anamalai Tiger Reserve of Tamilnadu no Eco-Sensitive Zones is proposed.

East Eastern part of Chinnar Wildlife Sanctuary being Anamalai Tiger Reserve of Tamilnadu no Eco-Sensitive Zones proposed Southern part of Chinnar Wildlife Sanctuary being habited ares no Eco Sensitive Zones is proposed.

South

West

West The boundary starts from the tri junction of Eravikulam National park, Chinnar Wildlife Sanctuary and Marayur Sandal Division, the boundary of Eco -sensitive Zones starts from the point 69 nearby poovar (77.131058 E 10.292876 N) and proceeds south east to point 70 nearby Kappakizhangu vaikkal (77.152089 E 10.302172 N and then it proceeds to North east direction to the point 71 nearby Vettakkaran malai (77.157965 E 10297401 N) From this point it again proceeds to South east direction to the point 72 nearby Puravayal (77.158614 E 10.289835 N). From Puravayal it proceeds North-East till it reaches the boundary of Chinnar Wildlife sanctuary at point P73 (77.16674 E 10.2937 N).

#### 3. Boundary Description of the Eco-Sensitive Zones around Anamudi Shola National Park:

**North** Northern part of Anamudi Shola National Park being Chinnar Wildlife sanctuary no Eco-Sensitive Zones is proposed.

**East** The eastern part includes habited areas and Kurinjimala Sanctuary no Eco -Sensitive Zones is proposed.

South The Southern part includes habited areas and hence no Eco -Sensitive Zones is proposed.

West The western part includes habited areas and hence no Eco- Sensitive Zones is proposed.

#### 4. Boundary Description of the Eco-Sensitive Zones around Kurinjimala Wildlife Sanctuary:

**North** Northern part of the Kurunjimala Sanctuary being Chinnar Wildlife Sanctuary hence no Ecosensitive Zones is proposed.

East Eastern part of the Kurunjimala Sanctuary being Kodaikanal Division of Tamilnadu hence no Eco- sensitive Zones is proposed.

South Southern part of the Kurunjimala Sanctuary being Pambadum Shola National Park hence no Eco- sensitive Zones is proposed.

West Western part of the Kurunjimala Sanctuary being habited no Eco- sensitive Zones is proposed.

#### 5- Boundary Description of the Eco-Sensitive Zones around Pampadum Shola National Park:

North The boundary of the Eco -sensitive Zones from the boundary of Pambadumshola National Park at the point 74 (77.25668 E 10.16257 N) and then proceeds to point 75 (77.25453E 10.16964 N). Then it proceeds to the point point near O.C division area of Tata Tea Plantation at point 76 (77.247525 E 10.164625 N) Thence it moves in a South west direction touching point 77 (77.244815 E 10.163296 N), 78 (77.24066 E 10.160541 N) till it reaches Vattavada area at point 79 (77.237315 E 10.15725 N). Then it moves more or less northwards touching point 80 (77.23609 E 10.152753 N).


**East** The eastern part of Pampadum Shola National Park is being Tamilnadu. Hence no Eco-Sensitive Zones is proposed.

South From point 84 (77.236977 E 10.127196 N) the point proceeds to North East direction and reaches point 85 (77.241559 E 10.128652 N) till it reaches point 86 (77.246169 E10.129011N) near estate mala.

West The point starts from Oorkkad area in a south west direction and stretches to point 81 (77.236577 E 10.146113 N ) and point 82 ( 77.2367156 E 10.139601 N ) then takes an southern direction to reach point 83( 77.23642 E 10.131401 N ) and point 84 ( 77.236977 E 10.127196 N ) at Manathalam.

#### ANNEXURE-II

### MAP OF ECO-SENSITIVE ZONES WITH LATITUDES AND LONGITUDES



## LATITUDE AND LONGITUDE OF KEY LOCATIONS ON THE BOUNDARY OF THE ECO-SENSITVE ZONES

Key Point ID	Longitude	Latitude	Location	
1	77.044159	10.255505	Trijunction of Eravikulam National Park, Anamudy Reserve Forest and Anamalai Reserve Forest of Tamilnadu at Vembanthanny	
2	77.048014	10.250477	Ammakutty in Anamudy RF	
3	77.054393	10.242576	Chembikanava in Anamudy RF	
4	77.054334	10.241177	Methrunda in Anamudy RF	
5	77.053793	10.24017	A location on the west of the Erumamala	
6	77.052146	10.239341	A location on the east of the Erianthuval Water Falls	
7	77.035809	10.237017	Erumimala in Anamudy RF	
8	77.029475	10.236203	A location on the North West of the Eravikulam National Park	
9	77.024404	10.236484	A location on the North West of the Kolukkamala	
10	77.019489	10.23509	A location inbetween Kolukkumala and Chempukulam	
11	77.011525	10.230449	A location on the south East of the Chempukulam	
12	77.007579	10.225785	A location in Anamudy RF	
13	77.006354	10.221288	A location in Anamudy RF	
14	77.008026	10.215679	A location on the West of the Beemamala	
15	77.012278	10.211448	A location in Anamudy RF	
16	77.015944	10.204655	A location in Anamudy RF	
17	77.022977	10.201344	A location on the North West of the Parappayarkudy Settlement	
18	77.028599	10.197135	A location on the South East of the Parappayarkudy Settlement	
19	77.029626	10.184729	A location on the South of the P18	
20	77.025057	10.185934	A location on the East of the Chembankuthu	
21	77.020188	10.184898	A location in Anamudy RF	
22	77.014985	10.182292	Enipara in Anamudy RF	
23	77.010847	10.179687	A location on west of the Meenthotty	
24	77.005436	10.177685	A location on the West of Eravikulam National Park.	
25	76.999916	10.175134	A location on the West of the junda No. I	
26	76.997899	10.170626	A location in Anamudy RF	
27	76.998671	10.165378	A location in Anamudy RF	
28	77.001478	10.158933	A location in Anamudy RF	
29	77.004163	10.155783	A location on the Pettymudy Tea Plantation	
30	77.007022	10.154584	A location on the Pettymudy Tea Plantation	
31	77.012167	10.154103	A location on the Pettymudy Tea Plantation	
32	77.017068	10.148531	A location on the Pettymudy Tea Plantation	
33	77.017111	10.141413	A location on the Rajamala Tea Plantation	
34	77.020757	10.135404	A location on the Rajamala Tea Plantation	
35	77.031442	10.133313	A location in Rajamala	
36	77.038948	10.133524	A location in Tourism Zones at Rajamala	
37	77.046148	10.133802	A location in Tourism Zones at Rajamala	
38	77.051895	10.133534	A location in Tourism Zones at Rajamala	
39	77.059066	10.134159	A location in Tourism Zones at Rajamala	
40	77.066028	10.139471	A location in Tourism Zones at Rajamala	
41	77.072936	10.146418	A location in Nyamakkad Tea Estate	
42	77.078366	10.151109	A location on the South East of Munnar - Udumalpet road.	
43	77.087327	10.155909	A location on the South East of Munnar - Udumalpet road.	
44	77.093453	10.160524	A location on the West of the Vaguvarrai Tea Palntation	
45	77.100398	10.164968	A location in the Vaguvarrai Tea Palntation	
46	77.104821	10.170673	A location in the Vaguvarrai Tea Palntation	
47	77.112572	10.174577	A location in the Lower Vaguvarrai Tea Palntation	
48	77.114156	10.176429	A location near the Vaguvarrai Factory	
49	77.122378	10.180912	A location in the Lakkom Tea Estate	
50	77.124302	10.184494	A location in the Naval Tea Estate	
51	77.125855	10.18954	A location in the Eastern boundary of Lakkom New Tea Estate	
52	77.133037	10.194501	A location in the North East of the Vaykkadavu Tea Estate	
53	77.134446	10.198476	A location in the Chattamunnar Tea Estate	

Key Point ID	Longitude	Latitude	Location	
54	77.136915	10.201865	A location in the Chattamunnar Tea Estate	
55	77.139465	10.208588	A location in the Chattamunnar Tea Estate	
56	77.13889	10.21359	A location in the Thalayar Tea Estate	
57	77.12962	10.21354	A location in the boundary of the Eravikulam NP	
58	77.13283	10.2286	A location in the boundary of the Eravikulam NP.	
59	77.138628	10.236005	A location on the south of Munnar - Marayoor road at Pallanadu.	
60	77.131035	10.239485	A location in the Kudakkadu RF of Marayoor Sandal Division	
61	77.120453	10.245917	A location in the Kudakkadu RF of Marayoor Sandal Division	
62	77.111209	10.248947	A location in the Kudakkadu RF of Marayoor Sandal Division	
63	77.116027	10.257125	A location in the Kudakkadu RF of Marayoor Sandal Division	
64	77.121942	10.267514	A location in the Kudakkadu RF of Marayoor Sandal Division	
65	77.126385	10.276064	A location in the Kudakkadu RF of Marayoor Sandal Division	
66	77.130796	10.283943	A location in the Kudakkadu RF of Marayoor Sandal Division	
67	77.131662	10.291963	A location in the Kudakkadu RF of Marayoor Sandal Division	
68	77.12023	10.299832	A location in the Kudakkadu RF of Marayoor Sandal Division	
69	77.131058	10.292876	Trijunction of Eravikulam National Park, Kudakkadu RF in Marayoor Sandal Division and Chinnar Widlife Sanctuary.	
70	77.152089	10.302172	Kappakizhangu vaikal- a location on the South east of poovar in Koodakkadu in Marayur Sandal division	
71	77.157965	10.297401	Vettakkaran mala- a location on the north east of Kappakizhangu vaikal in Marayur Sandal division	
72	77.158614	10.289835	Puravayal - a location on the south east of Vettakkaran mala in Marayur Sandal division and Marayur village	
73	77.16674	10.2937	A location in the boundary of the Chinnar WLS	
74	77.25668	10.16257	A location in the boundary of the Kurinjimala WLS	
75	77.25453	10.16964	A location in Manathalam area.	
76	77.247525	10.164625	A location near Tata Tea OC division	
77	77.244815	10.163296	A location near Pazhathottam	
78	77.24066	10.160541	A location near Pazathottam	
79	77.237315	10.15725	A location near vattavada	
80	77.23609	10.152753	A location near vattavada	
81	77.236577	10.146113	A location near Oorkkadu	
82	77.236715	10.139601	A location near Oorkkadu	
83	77.23642	10.131401	A location near Oorkkadu	
84	77.236977	10.127196	A location near Manathalam	
85	77.241559	10.128652	A location near Manathalam	
86	77.246169	10.129011	A location near Estatemala	
87	77.213405	10.239395	A location near Ollavayalkudy	
88	77.21218	10.234898	A location near Guhanatapuram	
89	77.213731	10.227051	A location near Guhanatapuram	
90	77.20001	10.204652	A location near Puthoor	
91	77.196469	10.206017	A location near Perumala	
92	77.191858	10.207845	A location near Kandhaloor	
93	77.184416	10.207516	A location near Keezhatoor	
94	77.177819	10.207623	A location near Kulachuvayalkudi	
95	77.167143	10.207326	A location near Theerthamala	
96	77.152441	10.206039	A location near Theerthamala	
97	77.149096	10.202748	A location near Ottakombumala	
98	77.148011	10.195557	A location near Thean Mala	
99	77.148402	10.184349	A location near Thean Mala	
100	77.148402	10.184349	A location between Kundala santos and Thaen mala	
101	77.154646	10.180003	A location between Kundala santos and Thaen mala	
102	77.159374	10.175738	Kundala Santos	
103	77.164519	10.175081	A location between PR Division and Kundala Santos	
104	77.170322	10.168902	A location between PR Division and Kundala Santos	
105	77.174469	10.167021	PR Division	
106	77.178447	10.165354	A location between Chittuvara tea estate and PR Division	

Key Point ID	Longitude	Latitude	Location	
107	77.181147	10.164519	A location between Chittuvara tea estate and PR Division	
108	77.185473	10.164726	A location between Chittuvara tea estate and PR Division	
109	77.189861	10.166063	A location between Chittuvara tea estate and PR Division	
110	77.196999	10.170407	A location between Chittuvara tea estate and PR Division	
111	77.203511	10.17289	A location between Chittuvara tea estate and PR Division	
112	77.207128	10.171269	Chittuvara tea estate	
113	77.211393	10.166904	A location between Ottamaram and Chittuvara teaestate	
114	77.216857	10.164974	A location between Ottamaram and Chittuvara teaestate	
115	77.223842	10.163992	Ottamaram	
116	77.230362	10.160449	A location between Pazathottam and Ottamaram	
117	77.238003	10.162269	A location near Pazathottam	
118	77.24177	10.167544	A location near Mammal	
119	77.24551	10.177971	A location near chilanthiyar	
120	77.251161	10.184664	A location near chilanthiyar	
121	77.251992	10.195884	A location near chilanthiyar	
122	77.253145	10.196842	A location near chilanthiyar	
123	77.241068	10.234519	A location near Koottiyar	
124	77.254077	10.197248	A location near chilanthiyar	
125	77.255593	10.19636	A location near Kottkkamboor	
126	77.259293	10.195367	A location near Kottkkamboor and Choolakkallu	
127	77.260743	10.191912	A location near Kottkkamboor and Choolakkallu	
128	77.260371	10.188192	A location near Choolakkallu	
129	77.260716	10.183164	A location near Choolakkallu and Periyakadu	
130	77.261949	10.179606	A location near Choolakkallu and Periyakadu	
131	77.260821	10.176331	Periyakadu	
132	77.25894	10.172599	A location between Periyakadu and Karthikkadu	
133	77.256437	10.171268	A location near Karthikkadu	
134	77.254067	10.170919	A location near Manathalam	
135	77.250448	10.169069	A location near PSNP boundary	
136	77.247525	10.164625	A location near Tata Tea OC division	
137	77.244815	10.163296	A location near Pazhathottam	
138	77.24066	10.160541	A location near Pazhathottam	
139	77.237315	10.15725	A location near Vattavada	
140	77.23609	10.152753	A location near Vattavada	
141	77.236577	10.146113	A location near Oorkkadu	
142	77.236715	10.139601	A location near Oorkkadu	
143	77.23642	10.131401	A location near Oorkkadu	
144	77.236977	10.1271196	A location near Manathalam	
145	77.241559	10.128652	A location near Manathalam	
146	77.246169	10.129011	A location near Estatemala	

## ANNEXURE-III

## LIST OF VILLAGES AND VESTED FORESTS IN ECO-SENSITIVE ZONES

District : Idukki Thaluk : Devikolam

SL.No.	Village	Status ( Partial / Full )
1	Kannan Devi Hills Village	Partial
2	Marayoor	Partial
3	Kezthanthoor	Partial
4	Kanthalloor	Partial
5	Kottakkamboor	Partial
6	Vattavada	Partial

Sl.	District	Name of the	Notification No. and	Administrative	Area (km²)
No.		RF	date	Control	
1	Idukki	Tirthallar RF	No.5634/FE2/68/AD dated	Marayur FD	3.94
			15 <sup>th</sup> july 1968		
2	Idukki	Vannamthura	No. 1208 /32/ Devpt.	Marayur FD	5.25
		Sandal RF	Dated 8 <sup>th</sup> July 1932		
3	Idukki	Sandal RF	No.S.R.1724 Dated 22nd	Marayur FD	0.34
		No.51	October 1903		
4	Idukki	Sandal RF No.	Dated 14 th August 1908	Marayur FD	0.127
		54 Extn.			
5	Idukki	Sandal RF	No.FR.1724 dated 1903	Marayur FD	2.80
		No.51 Extn.	October 2 nd		
6	Idukki	Kudakkad	No.5634/FE2/68/AD dated	Marayur FD	15.78
		Reserve	15 <sup>th</sup> July 1968		
7	Idukki	Anamudi RF	FA2.1084/57 AD dated	Munnar FD	31.50
			1969 August 6		
		Total			59.737

ANNEXURE-IV

#### Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zones Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of Meetings:
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan :
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure:
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.